भूमि अधिकार

Carbon Market Watch

Nature Code
Our planet is not for sale

मार्च 2014

पारखी नज़र

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

सम्पादकीय

हमारे एन जी ओ की पत्रिका "पारखी नज़र ! कार्बन बज़ारों पर एन जी ओ की आवाज" के विशेष वर्कशॉप संस्करण में आपका स्वागत है।

पिछले कुछ वर्षों में कार्बन मार्केट वॉच ने भारत के अनेक समर्पित संस्थानों के साथ मिलकर भारत में कार्बन मार्केट प्रोजेक्टों की सामाजिक और पर्यावरण अखंडता को सुधारने के लिए काम किया है, और जहॉं भी कोई कमी दिखाई दी है उसे उजागर किया है। जैसे जैसे प्रोजेक्टों की संख्या में वृद्धि हुई है वैसे वैसे स्थानीय समुदायों की अपने भूमि, भोजन और आश्रय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सामना करने की भारत के चारों ओर से आने वाली खबरों में भी वृद्धि हुई है।

उन क्षेत्रों में जो कि सामान्यत: सार्वजनिक भूमि जैसे कि जंगलों व कृषि क्षेत्रों पर निर्भर हैं उनमें मौसम में घटाव कार्यों पर बढ़ते हुए फोकस के कारण इस चुनौती पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान में संसार भर के सभी देश इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह मौसम परिवर्तन से लड़ा जाए ताकि 2015 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाया जा सके।

हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार कई कारणों की वजह से कृषि और वानिकी के क्षेत्र में प्रोजेक्टों को अनुमति नहीं देता है, वर्तमान में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार ऐसे तरीकों के विकास में लगा हुआ है जिनसे इन क्षेत्रों के स्रावों में कमी लायी जा सके। हालांकि भारत में मौसम में घटाव के कार्यों के अनुभव से यह सामने आया है कि स्थानीय समुदाय के लिए अपने व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों के तहत सार्वजनिक स्थानों को दैनिक जीवनयापन के लिए उपयोग करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।

इस वर्कशॉप का उद्देश्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहॉं जानकारी आपस में बॉंटी जा सके व इन कार्बन बाज़ार के नए क्षेत्रों को शामिल करने की संभावना के संदर्भ में होने वाले हाल के विकास पर चर्चा की जा सके। गैर कानूनी तरीकों से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक जुट होकर संभावित योजना बनाने के साथ साथ यह वर्कशॉप भूमि पर अधारित कार्बन बाज़ार की पहलों के राजनैतिक प्रभावों को भी खोजने का प्रयास करेगी। साथ साथ क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) व अन्य प्रणालियॉं अधिकार विहीन समूहों व महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं इस पर भी विचार किया जाएगा।

भद्र समाज की वर्कशॉप "भारत में भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ार" जो कि पुणे, महाराष्ट्र में 20 से 22 फरवरी 2014 तक है उसमें इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा कि भारत में भूमि अधिकारों पर कार्बन बाज़ारों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर इस भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ार के विशेष संस्करण में हमने वर्कशॉप के आयोजकों को बुलाकर इस विषय में उनके अनुभवों को बॉंटने के लिए आमन्त्रित किया है।

आप पढ़ने का लुत्फ उठाएँ!

कार्बन मार्केट वॉच की टीम व हमारे भारतीय मित्र

'पारखी नज़र! कार्बन बज़ारों पर एन जी ओ की आवाज' अंग्रेज़ी व हिन्दी में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है जो अभियान की नवीनतम जानकारी व दुनिया भर के नज़रियों के लेखों के साथ निकलती है। यदि आप इसके अगले संस्करण में योगदान देना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव या टिप्पणी हैं तो कृप्या adela.putinelu@carbonmarketwatch.org पर सम्पर्क करें।

विषय वस्तु :

लौह संयन्त्रों के स्पंज - जीवित रहने के हर पल को सोखने वाले page. 2

कार्बन केडिट - पूरे ग्रह की हर समस्या को सुलझाने वाला जादू का मन्त्र page. 4

जीविका का अधिकार page. 5

अरक्षणीय विकास व बगैर ऑंके गए प्रभावों के विषय में page. 7

केन्या का कृषि कार्बन प्रोजेक्ट - आखिर किसकी तिहरी जीत ? page. 8

सी डी एम अपने में एक अलग विचारधारा नहीं हो सकता page. 9

मौसम का संकट और झूठे समाधान - भारत के उत्तर पूर्व का केस page. 11

भारत में कूड़ा निस्तारण और भूमि संघर्ष page. 12

कृषि में घटाव व कार्बन बाज़ार - अज्ञात क्षेत्र page. 13

सुनहरा परिदृष्य ? page. 15

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़
पारखी नज़र! सूचनापट्ट page. 17

लौह संयन्त्रों के स्पंज - जीवित रहने के हर पल को सोखने वाले

अजिता तिवारी,
राष्ट्रीय फैसिलिटेटर,
इन्डियन नेटवर्क ऑन एथिक्स एन्ड क्लाइमेट चेन्ज (आई एन ई सी सी)

ऊषा मार्टिन लिमिटेड - अवशेषों का ताप पर आधारित वँधुआ पावर प्रोजेक्ट का कार्य, झारखंड चित्र: अजिता तिवारी

इस बात का कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता कि भारत के सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बगैर किसी नियम कानून के बेरोक टोक बढ़ने दिया जा रहा है, अक्सर आधिकारिक सम्मति के साथ भी, और इन्हें प्रदूषण फैलाने का बढ़ावा अन्तर्राष्ट्रीय क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़म (सी डी एम) के द्वारा प्राप्त हो रहा है।

स्पंज लौह उद्योग इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार औद्योगिक विकास मानव जीवन व उसके रोज़गार, पर्यावरण, कृषि व पशुधन की कीमत पर किया जा रहा है। दुर्भाग्य से यू एन की प्रणाली क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) ने इसके भयंकर पर्यावर्णीय, सामाजिक, और सांस्कृतिक दुष्प्रभावों को देखे वगैर ही इन प्रोजेक्टों को स्वच्छ होने के काविल मान लिया है।

आज भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पंज लौह उत्पादन करने वाला देश बन गया है जहाँ कि इसके 147 प्लॉट हैं जो कि साल में 11 मिलियन टन उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। यह उद्योग संसाधन में बहुत गहन माने जाते हैं, उदाहरण के लिए 350 टन कच्चे माल की आवश्यकता 100 टन स्पंज लौह बनाने के लिए पड़ती है और इस प्रकिया में 250 टन व्यर्थ का कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। 80 प्रतिशत से अधिक स्पंज लौह के उद्योग कोयले पर आधारित होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा धुंआ और धूल विसर्जित करते हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, रोज़गार पर प्रभाव डालने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को कम करने, पशुधन व समुदायों के शारीरिक स्वास्थ्य व सुख में कमी लाने के लिए ज़िम्मेदार है। स्पंज लौह के प्लांटों के स्रावों में कार्बन डाय ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड होने के साथ साथ कैडियम, सीसा, ज़िंक, मरकरी, मैंग्नीज़, निकल, क्रोमियम व आर्स निक जैसी भारी धातुओं के अंश भी पाए जाते हैं।

सी डी एम के अर्न्तगत आने वाले प्रोजेक्टों से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना अपेक्षित है : कार्बन स्रावों में कमी लाना व दीर्घकालिक विकास में योगदान देना। स्पंज लौह के प्लांटों को संसाधनों की आपूर्ति सी डी एम के अर्न्तगत वर्बाद हो जाने वाली गर्मी (जो कि पहले पर्यावरण में छोड़ दी जाती थी) को बिजली बनाने के काम में लाना है। इस प्रकिया में कोयले का प्रयोग नहीं होता जो कि पहले किया जाता था। स्पंज लौह के अधिकतर प्लांट जैसे कि ओड़ीसा (तलचेर, कियोनझार), छत्तीसगढ़ (सिलतारा), झारखंड (सरायकेला खरसावन) सी डी एम के वेस्ट हीट रीकवरी प्रोसेस के अर्न्तगत कार्बन केडिटों को लेने का दावा करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्टों के विषय में पढ़ा है उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक दीर्घकालिक विकास के दावों को को टाल दिया है (प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट पी डी डी के अनुसार) और वास्तव में उन समुदायों को और अधिक कंगाल बना दिया है जिनकी भूमि पर ये प्रोजेक्ट कार्यरत हैं।

कोहिनूर, झारखंड की कृषि भूमि, सितारा, छत्तीसगढ़ के आरती स्पंज को स्थानीय समुदायों से बहुत ही कम कीमत देकर लिया गया है। इन स्थानों की स्पंज लौह की अधिकतर फैक्टरियाँ उन क्षेत्रों में हैं जो कि चावल की खेती के लिए जाने जाते थे। परन्तु कूड़ा निस्तारण के गलत तरीकों के कारण 5 किलोमीटर के दायरे में चावल के सभी खेतों पर प्रदूषित पानी व हवा का दुष्प्रभाव पड़ा है। भूमिगत जल स्तर बहुत अधिक गिर गया है क्योंकि ये प्लांट पानी को चूस लेते हैं (ऊषा मार्टिन)। लोग प्रदूषित अनाज खाने पर मजबूर हैं जिसके कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ज़्यादातर सभी को भविष्य में नौकरी पाने की संभावना भी बहुत कम नज़र आ रही है। अनाजों व फलों के बाज़ारों में भी कमी आई है। मवेशियों की संख्या में कमी आयी है और दूध का उत्पादन भी कम हो गया है

INECC

आई एन ई सी सी उन संस्थानों का एक नेटवर्क है जो मौसम के सम्वन्ध में ज़मीन से जुड़े नज़रिए से परिचर्चा करना चाहते हैं

परन्तु बड़ा और अहम सवाल यह है कि इस प्रकार के प्रभाव सी डी एम जैसी एक अर्न्तराष्ट्रीय प्रणाली के विशेषज्ञों की नज़र में नहीं आते?

क्योंकि गाय भैंस उन घास और पत्तियों का सेवन करते हैं जिनपर फैक्टरियों की ज़हरीली काली धूल व धुंआ जमा रहता है। ये सारे प्रभाव प्रोजेक्ट के प्रमाणीकरण व वैधीकरण के समय सामने नहीं रखे जाते।

यह प्रणाली का दोष न केवल देश के नियमों में होता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों में भी देखा जा सकता है : कानून की सरासर अनदेखी की जाती है। इस विषय में कानून एकदम स्पष्ट है कि यह ज़रूरी है कि स्पंज लौह की एक फैक्टरी से दूसरे की दूरी कम से कम पाँच किलोमीटर की होनी चाहिए, परन्तु वास्तविक कहानी कुछ और ही है। सिलतारा जो कि रायपुर से 10 किमी की दूरी पर है वहाँ पर 30 से भी अधिक फैक्टरियाँ हैं। इसमें से पाँच से ज़्यादा फैक्टरियाँ एक दूसरे से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई हैं। एक अन्य कानूनी रूपरेखा के अनुसार किसी भी गाँव और स्पंज लौह की फैक्टरी के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। परन्तु सुन्दरगढ़ और रायपुर जैसी जगहों पर फैक्टरियाँ आवादी वाले क्षेत्रों के पास लगाई गई हैं। इन सबको देखकर उद्योगों, प्रशासन और पर्यावरण के सुरक्षाकर्मी व प्रबन्धकर्त्ताओं की मिलीभगत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

यह माना जा सकता है कि प्रणाली में मूल रूप से ही कुछ कमियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले कार्वन क्रेडिट न केवल स्रावों में कमी लाने के आधार पर दिए जाँए परन्तु यह भी देखा जाए कि किस हद तक प्रोजेक्ट ने स्थानीय विकास/दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया है। दीर्घकालिक विकास को केवल दे देने की वचनबद्धता पर समझौता न किया जाए। यह मेज़बान देश की अनुमोदन करने वाली संस्था, जैसे कि हमारे केस में डी एन ए है, की भूमिका बढ़ जाती है।

सी डी एम प्रोजेक्टों को स्वीकृति देने वाली एक स्तर की केन्द्रीय प्रकिया ने राज्य, ज़िले और पंचायत स्तर पर काम करने वालों को सी डी एम से दूर रखा है। इन साझेदारों को सी डी एम की कड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। शायद ऐसा करने से एक दिखावटी साझेदारों की परिचर्चा की प्रकिया को कुछ पैनी धार मिल सके। नियन्त्रण प्रणालियों को मज़बूती देने की व जो कम्पनियाँ नियमों की अनदेखी करें उनके खिलाफ कड़े कदम आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले सम्बन्धित कम्पनी को सी पी सी बी (सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड) की नियमावली का पालन करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे सी पी सी बी के द्वारा निर्धारित किए गए पर्यावरण के मानकों को प्राप्त करें जिसमें कि सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लेना भी शामिल होता है।

दीर्घकालिक विकास का दृष्टिकोण

- जो प्रोजेक्ट जो समाज के हित में नहीं हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना।
- यह सुनिश्चित करना कि पी डी डी में किए गए वायदों का पालन हो।
- दीर्घकालिक विकास के सूचकों का व 'लक्ष्य और विकास' के विस्तारपूर्ण सूचकों का भी विश्लेषण करना।
- गरीबों के हितों को ध्यान में रखने वाले प्रोजेक्टों को बढ़ावा देना।

कार्बन क्रेडिट - पूरे ग्रह की हर समस्या को सुलझाने वाला जादू का मन्त्र ?

कार्बन क्रेडिट - पूरे ग्रह की हर समस्या को सुलझाने वाला जादू का मन्त्र ?

चित्र : www.unfccc.com के सौजन्य से

काफी पहले अस्सी के दशक में दुनिया भर के देशों ने एक जुट हो कर पृथ्वी के इस ग्रह के संरक्षण के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्तों पर सहमति रखी थी। स्टॉकहोम की "हमारे सामूहिक भविष्य" के संरक्षण की घोषणा को संसार के बहुत से देशों ने समर्थन दिया था। भारत ने एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय मुहिम आशीष कोठारी व अन्य लोगों के साथ मिलकर चलाई थी जिसके फलस्वरूप नैशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटिजिक एक्शन प्लान (एन बी एस ए पी) का विकास किया गया था।

यह योजना सरकार के द्वारा यह कह कर खारिज कर दी गई थी कि वह मुक्कमल तरह से 'वैज्ञानिक' नहीं है। पर्यावरण की अन्य रिर्पोटें जैसे कि गाडगिल रिर्पोट का भी कुछ ऐसा ही हश्र किया गया। प्रोफेसर माधव गाडगिल को तो इस रिर्पोट को जनता के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाना पड़ा था।
कहानी के दूसरे पहलू में गोवर्धन तिरूमलक्पड़ केस जब सुप्रीम कोर्ट के समाने पेश किया गया तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि वन विभाग ने जंगलों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और वनों को माफिया व इस तरह के अन्य असामाजिक तत्वों से मुक्त रखना चाहिए। वन विभाग की इन तत्वों के साथ मिली भगत के चलते जो भी असामाजिक तत्व पाए जा सके वे केवल मज़बूर जनजातियाँ ही थीं।

हाथियों द्वारा मकान ढहा दिए गए व झोपड़ियों में आग लगा दी गई ताकि जनता में यह संदेश दिया जा सके कि सरकार वनों में किसी भी प्रकार का अनअधिकृत ग्रहण सहन नहीं करेगी। अभियान के द्वारा चलाए गए फलस्वरूप होने वाले संघर्ष की मदद से कुछ सान्तवना दी गई और 2005 में रेकोग्निशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एक्ट को अनुमोदित किया गया।

अभी भी छिटपुट बातों को लेकर विवाद होता रहता है परन्तु वनों में निवास करने वालों के पास कानूनी हक है जिसकी मदद से वे अपने विचार रख सकते हैं। हाल में निम्यागिरी के केस में मूल निवासियों की अपने स्वाभिमान से जीने के हक के संघर्ष का उदाहरण अग्रणी है।

हाल का कल्पावल्ली व अन्य का सरकार के खिलाफ केस सामुदायिक वनों के क्षेत्र को व्यापक बनाने का एक प्रयास है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल्पावल्ली को बहुत मेहनत से टिम्बटकू कलेक्टिव के श्री सी के गांगुली व उनकी पत्नी मेरी ने पुर्नजीवित किया है। इन्होंने टिम्बकटू को पुर्नजीवित कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार पड़ोस के कल्पावल्ली के लोगों को प्रोत्साहित करके कल्पावल्ली की बंजर भूमि को फिर से हरा भरा किया जा सकता है। कल्पावल्ली के जंगल व मुश्तिकोविल्ला का सरोवर अब एक गुट्टूर रिज़र्व वन से निकट के पेन्नूकोंडा के जंगलों के लिए एक गलियारे का काम करते हैं। इसी कारण से जहाँ कि कल्पावल्ली में मात्र 50 पौधे लगाए गए थे वहाँ हम अब पौधों की 500 से भी अधिक प्रजातियाँ देख सकते हैं।

इस स्थान को तब एक गहरा धक्का लगा था जब विंड मिल की एक कम्पनी एनरकॉन को कल्पावल्ली में 55 विंड मिलों को लगाने की अनुमति मिल गई और 100 से भी अधिक आस पास में ही थीं। 470 टन से अधिक भार का सामान प्रति मिल के लिए ले जाने के लिए 10 से 15 मीटर चौड़ी सड़को का निर्माण किया गया जिससे पूरे क्षेत्र का इकोसिस्टम ही गड़बड़ा गया। पर्वतों की चोटियों को समतल करना पड़ा ताकि ये विशालकाय ढांचे खड़े किए जा सकें। ऑकने की वर्तमान प्रकिया के अनुसार वह केवल इस क्षेत्र में हवा की दिशा की जानकारी ही दे पाते हैं, कोई भी अन्य कारकों का पता लगाने में वह असमर्थ हैं।

SPWD

एस पी डब्लू डी का उद्देश्य है "जीवन को सहारा देने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों , मुख्यत: भूमि व जल, को बाधित करने व उन्हे पीछे की ओर ले जाने की प्रकिया को रोकना ताकि जनता की भागीदारी से रोज़गार के अवसरों में समान रूप से व दीर्घ काल तक के लिए बढोत्तरी लायी जा सके"

यह हमारा अनुरोध है कि क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म में कोई भी रूचि दिखाने के लिए प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को सम्पूर्णता से देखने की आवश्यकता है।

कार्बन चक्र, ऊर्जा चक्र व पोषक तत्वों के चक्रों का ज्ञान इस प्रणाली का सम्पूर्ण असर जानने के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रभाव से पक्षियों व चमगादड़ों के घोंसले बनाने पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त हवा के बहाव पर अन्य प्रकार के प्रभावों को भी बहुत पास से जानना बहुत आवश्यक है।

यह हमारा अनुरोध है कि क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म में कोई भी रूचि दिखाने के लिए प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को सम्पूर्णता से देखने की आवश्यकता है।

ऊपर दिए गए विवरण पर विस्तार से आप Paryavaran Jagriti Abhiyan इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं और हम आपसे किसी भी प्रकार का समर्थन देने का अनुरोध करते हैं।

गाय की, घास के मैदानों का संरक्षण करें और कल्पवल्ली के लोगों को जीत दिलाएँ!

जीविका का अधिकार

महेश पांड्या, निदेशक,
पर्यावरण मित्र (फ्रेन्ड्स ऑफ एन्वायरॉन्मेन्ट)

चित्र: महेश पांड्या

पर्यावरण मित्र

हमारा लक्ष्य सामाजिक नाइंसाफी, मानवाधिकारों के उल्लंघनों व विकास के प्रोजेक्टों/प्रणालियों के द्वारा होने वाले इकोलौजिकल/पर्यावर्णीय असंतुलन पर केन्द्रित होकर इन मुद्दों को सुलझाना है।

भारत में भूमि का कुल क्षेत्र करीब 328 मिलियन हेक्टेयर है जो कि संसार में सातवॉं सबसे अधिक भूमि का क्षेत्र है। सदियों से भूमि ही भारत के लाखों लोगों की जीविका का स्त्रोत रहा है और खेती ने किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक रोज़गार प्रदान किया है। भारत के आर्थिक ढॉंचे की रीढ़ की हड्डी कृषि ही रही है। इस लेख में मैं देश की भूमि व लोगों के रोज़गार में हुए गहन औद्योगिकरण से निपटना चाहूँगा।

भारत में भूमि का कुल क्षेत्र करीब 328 मिलियन हेक्टेयर है जो कि संसार में सातवॉं सबसे अधिक भूमि का क्षेत्र है। सदियों से भूमि ही भारत के लाखों लोगों की जीविका का स्त्रोत रहा है और खेती ने किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक रोज़गार प्रदान किया है। भारत के आर्थिक ढॉंचे की रीढ़ की हड्डी कृषि ही रही है। इस लेख में मैं देश की भूमि व लोगों के रोज़गार में हुए गहन औद्योगिकरण से निपटना चाहूँगा।

पर्यावरण बदलाव के इस समय में हम घटाव की खोज में हैं ताकि मौसम परिवर्तन से कार्बन सिंक व कार्बन स्रावों में कमी के द्वारा लड़ा जा सके। यू एन एफ सी सी सी ने कुछ ऐसी तकनीकों को शुरू किया है जिनसे कि ग्रीन हाउस गैसों के स्रावों में कमी के लक्ष्यों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।

भारत जैसे विकासशील देशों में, क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) या हरी तकनीकें पवित्र गौ माता के नाम पर 'उद्योगपतियों का प्रिय प्रोजेक्ट' बन कर रह गया है। यह उनके लिए एक ऐसा अवसर बन गया है जिससे कि वह प्रदूषण फैलाते रह कर भी कार्बन क्रेडिटों के ज़रिये पैसा कमाते रह सकते हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों में, क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) या हरी तकनीकें पवित्र गौ माता के नाम पर 'उद्योगपतियों का प्रिय प्रोजेक्ट' बन कर रह गया है। यह उनके लिए एक ऐसा अवसर बन गया है जिससे कि वह प्रदूषण फैलाते रह कर भी कार्बन क्रेडिटों के ज़रिये पैसा कमाते रह सकते हैं।

स्वाभाविक तौर पर पुन: पैदा होने वाली ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट व कार्बन में तथाकथित कमी लाने वाले प्रोजेक्ट अब भूमि के बड़े हिस्सों को अब हरी तकनीकों का नाम देकर हथिया रहे हैं। इससे किसानों व खेती पर निर्भर अन्य रोज़गारों पर असर पड़ रहा है। हालांकि इन प्रोजेक्टों का उद्देश्य स्रावों में कमी लाना है, यह बहुत ज़रूरी होता है कि इनका पालन कड़े सामाजिक व आर्थिक प्रभावों के विश्लेषण के बाद ही किया जाए।

कृषि से सम्बन्धित तरीकों का एक उदाहरण जो कि सी डी एम के अर्न्तगत क्रेडिट पाने के योग्य है वह बायो फ्यूअल की तरह प्रयोग में आने वाला 'जट्रोफा' है। भारत तेल के लिए जिस पौधे पर काफी सालों से केन्द्रित रहा है वह है 'जट्रोफा कर्कस'। जट्रोफा तेल के पौधों का एक दीर्घकालिक स्रोत है परन्तु इसकी उत्पत्ति दूसरी ओर एक मोनो कल्चर की तरह हुई है जिससे कि बायो डाइवर्सिटी पर असर पड़ा है जिसके कारण वनों का नाश हुआ है व कृषि भूमि में खाद्यानों व इसके बीच होड़ हो जाती है। बायोफ्यूअल में आई इस तेज़ी के कारण उन लोगों का रोज़गार जो कि उस भूमि पर अपने जानवरों को चराने के लिए, जलाने की लकड़ी के लिए व छोटे फल बीनने व बेचने के लिए निर्भर हैं।

भूमि व उसके संसाधानों के लिए हो रही इस होड़ के कारण लोगों के खाने पीने के तरीकों में अन्तर आया है, गरीबों में कुपोषण, विस्थापन और मृत्यु तक देखी गई है। इन सबके बीच भूमि अधिग्रहण का नया कानून उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है जो कि विस्थापन के खिलाफ, बगैर उपयोग में पड़ी भूमि की वापसी, भूमि व रोज़गार गँवा देने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा और सबसे बड़ी बात यह कि वह लोगों की भागीदारी को महत्व देगा।

भूमि अधिकारों से जुड़े मुद्दों व भारत में कार्बन बाज़ारों पर भद्र समाज की एक वृहत परिचर्चा की आवश्यकता है। इस तरह की परिचर्चा के लिए भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ारों पर 20 से 22 फरवरी 2014 को पुणे, भारत में होने वाली एक वर्कशॉप में ऐसी परिचर्चा का मंच प्रस्तुत किया जाएगा।

'जट्रोफा कर्कस'

भूमि व उसके संसाधानों के लिए हो रही इस होड़ के कारण लोगों के खाने पीने के तरीकों में अन्तर आया है, गरीबों में कुपोषण, विस्थापन और मृत्यु तक देखी गई है। इन सबके बीच भूमि अधिग्रहण का नया कानून उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है जो कि विस्थापन के खिलाफ, बगैर उपयोग में पड़ी भूमि की वापसी, भूमि व रोज़गार गँवा देने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा और सबसे बड़ी बात यह कि वह लोगों की भागीदारी को महत्व देगा।

भूमि अधिकारों से जुड़े मुद्दों व भारत में कार्बन बाज़ारों पर भद्र समाज की एक वृहत परिचर्चा की आवश्यकता है। इस तरह की परिचर्चा के लिए भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ारों पर 20 से 22 फरवरी 2014 को पुणे, भारत में होने वाली एक वर्कशॉप में ऐसी परिचर्चा का मंच प्रस्तुत किया जाएगा।

अरक्षणीय विकास व बगैर आँके गए प्रभावों के विषय में

परिणिता दाँडेकर, असोसिएट कोओरडिनेटर, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एन्ड पीपल (एस ए एन डी आर पी)

चित्र: परिणिता दाँडेकर

कुमारधारा नदी जो कि कुक्के 1 मिनी हायडल प्रोजेक्ट जो कि वर्तमान में यू एन एफ सी सी सी के द्वारा पुनरक्षित है।

भारत में हायडल के छोटे प्रोजेक्ट एन्वायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट प्रकिया से बाहर हैं जिनमें कि एक सामाजिक सुनवाई की जाती है और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ कमेटी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। नतीजतन, ये प्रोजेक्ट उन प्रभावों को दिखाने में अक्षम होते हैं जो समुदायों और इको सिस्टम पर क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) के अन्तर्गत मान्यता दिए जाने पर पड़ सकते हैं। इन बगैर मूल्यांकन वाले प्रभावों के बावजूद यू एन एफ सी सी सी पूरी तरह से मेज़बान देश की स्वीकृति जो वे इन प्रोजेक्टों के दीर्घकालिक विकास में योगदान के अनुमान की देते हैं उन पर पर निर्भर होता है। यह अनेक बार गलतफहमियाँ भी पैदा कर देता है। यू एन एफ सी सी सी को स्थानीय व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों साझेदारों की इस मुद्दे पर दी गई टिप्पणियों को मद्देनज़र रखना चाहिए और केवल मेज़बान देश की स्वीकृति पर ही कदम नहीं उठाने चाहिऐं।

हायडेल के छोटे प्रोजेक्ट, स्मॉल हायडेल प्रोजक्ट (एस एच पी) जिनकी संस्थापित क्षमता 2 से 25 मेगावाट के बीच है उनकी संख्या भारत के इकोलोजिकल तौर पर संवेदनशील इलाकों में तेज़ी से बढ़ रही है व इनमें पश्चिमी हिमालय व पश्चिमी घाटों के अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले स्थल भी हैं। इनकी बढ़ती संख्या, दुष्प्रभावों व प्रोजेक्टों के स्थानों के चलते एम ओ ई एफ की नैशनल सी डी एम अथॉरिटी जो कि इस प्रोजेक्टों को पास करती है उसे और अधिक सर्तकता बरतने की आवश्यकता है। किसी देश के द्वारा एक वार स्वीकृति दिए जाने के बाद यू एन एफ सी सी सी यह मान लेता है कि प्रोजेक्ट के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा चुका है व ऐसा होने के कारण वह दीर्घकालिक विकास में अपने आप सहयोग देगा।

एस ए एन डी आर पी का यह अनुभव रहा है कि जिन प्रोजेक्टों का इकोलौजिकल प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है उन्हें इस लिए पंजीकृत कर दिया जाता है क्योंकि यू एन एफ सी सी सी यह मान कर चलती है कि भारत सरकार उसे भली भाँति देख चुकी है। एस ए एन डी आर पी की प्रतिकिया के फलस्वरूप यू एन एफ सी सी सी ने कहा है कि यह डेज़िग्नेटिड नैशनल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वह ठीक से इस बात का परीक्षण करे कि प्रोजेक्ट दीर्घकालिक विकास में सहयोग देता है या नहीं। वास्तव में इकोलौजिकल प्रभावों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता।

हायडेल के छोटे प्रोजेक्ट, स्मॉल हायडेल प्रोजक्ट (एस एच पी) जिनकी संस्थापित क्षमता 2 से 25 मेगावाट के बीच है उनकी संख्या भारत के इकोलौजिकल तौर पर संवेदनशील इलाकों में तेज़ी से बढ़ रही है व इनमें पश्चिमी हिमालय व पश्चिमी घाटों के अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले स्थल भी हैं। इनकी बढ़ती संख्या, दुष्प्रभावों व प्रोजेक्टों के स्थानों के चलते एम ओ ई एफ की नैशनल सी डी एम अथॉरिटी जो कि इस प्रोजेक्टों को पास करती है उसे और अधिक सर्तकता बरतने की आवश्यकता है। किसी देश के द्वारा एक वार स्वीकृति दिए जाने के बाद यू एन एफ सी सी सी यह मान लेता है कि प्रोजेक्ट के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा चुका है व ऐसा होने के कारण वह दीर्घकालिक विकास में अपने आप सहयोग देगा।

एस ए एन डी आर पी का यह अनुभव रहा है कि जिन प्रोजेक्टों का इकोलौजिकल प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है उन्हें इस लिए पंजीकृत कर दिया जाता है क्योंकि यू एन एफ सी सी सी यह मान कर चलती है कि भारत सरकार उसे भली भाँति देख चुकी है। एस ए एन डी आर पी की प्रतिकिया के फलस्वरूप यू एन एफ सी सी सी ने कहा है कि यह डेज़िग्नेटिड नैशनल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वह ठीक से इस बात का परीक्षण करे कि प्रोजेक्ट दीर्घकालिक विकास में सहयोग देता है या नहीं। वास्तव में इकोलौजिकल प्रभावों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता।

हिमाचल प्रदेश की नदियों में हायडेल के छोटे प्रोजेक्टों को मान्यता दे दी गई जबकि उनकी मछलियों की प्रजातियों के लिए सुरक्षा होनी थी और उन्हें सी डी एम के अन्तर्गत पंजीकृत भी कर दिया गया और अब ये प्रोजेक्ट ताज़े पानी के उपयोग को बाधित कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट स्थानीय पानी की सुरक्षा और वनों के उगाने को बाधित कर रहे थे उन्हें भी मान्यता दे दी गई है (उदाहरन के लिए 4.5 मेगावॉट का हुल प्रोजेक्ट)। यह स्पष्ट तौर पर मान्य नहीं है और इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

एम ओ ई एफ के अन्तर्गत नैशनल सी डी एम अथॉरिटी जो कि यू एन एफ सी सी सी के लिए अनुमोदन करने वाली राष्ट्रीय अथॉरिटी है, उसे अपनी भूमिका गम्भीरता से लेनी होगी और प्रयास करके यह समझना होगा कि उसके पास अनुमति के लिए आने वाले प्रोजेक्टों के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ यू एन एफ सी सी सी को भी केवल यह मान कर नहीं चुप रहना होगा कि दीर्घकालिक विकास केवल मेज़बान देश की मान्यता से हो ही जाएगा। उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ईकोलौजी व समुदायों पर दुष्प्रभाव प्रोजेक्ट के कारण नप ड़ रहे हों। यू एन एफ सी सी सी को मेज़बान देश की उस आधिकारिक व्यवस्था के खिलाफ भी कार्यवाही करनी होगी जो दीर्घकालिक विकास के झूठे दावे पर प्रोजेक्ट को मान्यता दे रही हैं। वास्तव में तथ्यों के मूल्यांकन के अभाव में यू एन एफ सी सी सी और डी एन ए दोनों ही ऐसे प्रोजेक्टों के ईकोलौजिकल व सामाजिक नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माने जाएँगे।

एस ए एन डी आर पी उन संस्थानों और व्यक्तियों का एक अनौपचारिक संगठन है जो कि नदियों व उन पर निर्भर सामाजिक और इकोलौजिकल प्रणालियों के लिए काम करते हैं।

केन्या का कृषि कार्बन प्रोजेक्ट - आखिर किसकी तिहरी जीत ?

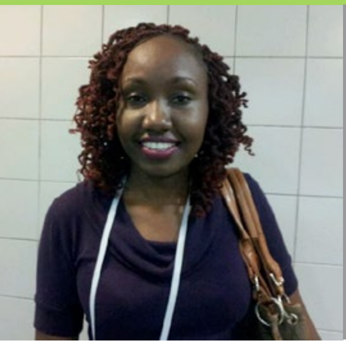

रूथ नियामबुरा, एडवेकेसी एन्ड कम्यूनिकेशन कोओरडिनेटर, एफ्रीकन बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क (ए बी एन)

चित्र: रूथ न्यामबुरा

जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेस रिलीज़ के द्वारा (*press release*) के द्वारा व कीनिया के दैनिक अखबारों में लेखों के माध्यम से यह घोषणा की कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल लैन्ड मैनेजमेन्ट (एस ए एल एम) के अन्तर्गत कार्बन अकाउन्टिंग मेथोडॉलौजी के द्वारा कीनिया में 60000 छोटी भूमि वाले किसानों को अभी कीनिया एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट (के ए सी पी) जो कि बैंक द्वारा वित्तीय पोषित है, उससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुए हैं।

नवम्बर 2010 में आरम्भ हुए इस प्रोजेक्ट के दिसम्बर 2017 तक पूरा हो जाने की संभावना है। यह विकासशील दुनिया के किसानों के लिए तिहरी जीत की तरह देखा जा रहा है। पैदावार बढ़ाना, मौसम परिवर्तन के साथ चलना और अंततः किसानों को मौसम परिवर्तन को कम करने के लिए स्रावों में कमी लाने के लिए प्रेरित करना और कार्बन को दीर्घकालिक खेती से अलग करना। इसे वर्ल्ड बैंक और यू एन के फूड एन्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन (एफ ए ओ) 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' कहते हैं।

वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "कार्बन को भूमि से अलग करने के लिए हम खेती व भूमि प्रबन्धन के तरीकों में आए बदलाव को धन्यवाद देते हैं। क्रेडिटों से 24788 मीट्रिक टन कार्बन डाय ऑक्साइड की कमी देखी जा सकती है जो कि एक साल में 5164 गाड़ियों से होने वाले स्राव के बराबर है।" यह प्रोजेक्ट जिसकी अनुमानित लागत 1000000 डॉलर ऑकी जा रही है को बैंक के स्थानीय पार्टनर बहुत आदरणीय स्वीडिश एन जी ओ व्ही एग्रो फॉरेस्ट्री है जो कि लेक विक्टोरिया बेसिन में 25 वर्षों से अधिक से काम कर रहा है। यह मुख्यतः छोटे किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री प्रसारण सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

कार्बन बाज़ारों को बढ़ा कर कृषि को उसमें शामिल करने के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है जिसमें सबसे मुख्य यह यथार्थ या यह अयथार्थ भी है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा भोजन उगाने वाले लोगों को जो कि वैसे भी बदलते मौसम के भयंकर प्रभावों को झेल रहे हैं उन्हें एक ऐसी रेलगाड़ी में चढ़ा देना जो कि छूटने से पहले ही विनाश की ओर चल रही है। कार्बन के चिंताजनक गिरते हुए दामों से व इस बात की असलियत से कि कार्बन बाज़ारों ने प्रदूषण फैलाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर को रोका नहीं है वरन् उन्हें एक ऐसा लूपहोल भी दे दिया है जिससे वह प्रदूषण फैला कर भी कहीं और से कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। पश्चिमी कीनिया के छोटे किसानों के कार्बन को हटाने के कार्य जिनकी प्रणालियों को बाज़ार में लाकर मौसम की समस्या से निपटा जा सके वह ज़्यादातर लोगों व समूहों को पसन्द नहीं आए हैं।

वर्ल्ड बैंक की इस शानदार घोषणा के बाद एन जी ओ एफ ई आर एन ने एक रिपोर्ट रएपेरतजारी की जिसका शीर्षक है "मिसलीडिंग नम्बर्स - द केस फॉर सेप्रेटिंग लैन्ड एन्ड फॉसिल बेस्ड कार्बन एमशन्स"। रिपोर्ट की मुख्य थीम इस सामान्य भ्रम को तोड़ना है कि फॉसिल फ्यूल में से निकलने वाला कार्बन पेड़ पौधों और क्षेत्र के ईको सिस्टम की भूमि में पाए जाने वाले कार्बन के समान ही होता है। आगे चल कर यह रिपोर्ट उन भ्रमों के विषय में भी प्रश्न खड़े करती है कि फॉसिल पर आधारित कार्बन के स्रावों के असर को कम किया या काटा जा सकता है यदि क्षेत्र के ईको सिस्टम के सहन करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी पर कीनियन एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट (के ए सी पी) आधारित है।

इसके साथ साथ हमें इस वास्तविकता का सामना भी करना पड़ता है कि फॉसिलों से होने वाले कार्बन स्राव भी पलटे नहीं जा सकते और प्राकृतिक ईको सिस्टम जैसे की जंगलों की भी स्रावों को सहने की एक क्षमता होती है। यह काफी स्पष्ट होता जा रहा है कि मौसम के न्याय की लड़ाई गरीबों व विकासशील देशों के ऊपर कार्बन बाज़ारों में घटाव के माध्यम से डाली जा रही है। अमीर देश गरीब देशों को बाज़ार पर आधारित प्रणालियों के बाहर के तरीकों से घटाव लाने में न केवल उचित आर्थिक सहायता ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जी सी एफ) के अन्तर्गत न देकर नकारात्मक संदेश दे रहे हैं परन्तु फॉसिल फ्यूअलों पर आधारित स्रावों के स्तर को भी बढ़ाते जा रहे हैं।

गरीब देश किस प्रकार मौसम परिवर्तन की आदत डाल कर घटाव लाएँ जबकि उनके हाथ पूरी तरह से बँधे हुए हैं और साथ साथ जो भी आर्थिक सहायता उन्हें प्राप्त है वह के ए सी पी जैसे प्रोजेक्टों में चली जाती है जिससे भूमि से होने वाले स्रावों का ब्यौरा देने का दायित्व उनका हो जाता है। यह न तो सही है और न ही असरदार और साथ में मँहगा भी बहुत है। इसके स्थान पर ध्यान एक फॉसिल मुक्त संसार को बनाने में लगाने की ज़रूरत है।

african BIODIVERSITY NETWORK ABN

एफ्रीकन बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क (ए बी एन) व्यक्तियों व संस्थानों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क है अफ्रीकी महाद्वीप की ईकोलौजिकल और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान खोजने के प्रयास में कार्यरत है। ए बी एन के विषयक कार्यक्षेत्र हैं कम्यूनिटी ईकोलौजिकल गवर्नेन्स (सी ई जी), कम्यूनिटी सीड एन्ड नॉलेज (सी एस के) और एडवेकेसी एन्ड कम्यूनिकेशन।

इसके साथ साथ हमें इस वास्तविकता का सामना भी करना पड़ता है कि फॉसिलों से होने वाले कार्बन स्राव भी पलटे नहीं जा सकते और प्राकृतिक ईको सिस्टम जैसे की जंगलों की भी स्रावों को सहने की एक क्षमता होती है। यह काफी स्पष्ट होता जा रहा है कि मौसम के न्याय की लड़ाई गरीबों व विकासशील देशों के ऊपर कार्बन बाज़ारों में घटाव के माध्यम से डाली जा रही है। अमीर देश गरीब देशों को बाज़ार पर आधारित प्रणालियों के बाहर के तरीकों से घटाव लाने में न केवल उचित आर्थिक सहायता ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जी सी एफ) के अन्तर्गत न देकर नकारात्मक संदेश दे रहे हैं परन्तु फॉसिल फ्यूअलों पर आधारित स्रावों के स्तर को भी बढ़ाते जा रहे हैं।

इसके साथ साथ यह बात भी अनुत्तरित है कि प्रोजेक्ट का केन्द्र हाइब्रिड बीजों और एग्रो केमिकलों की ओर है जो कि मल्टी नैशनल एग्री बिज़नेस कम्पनी सिन्जेन्टा के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शेफाली शर्मा ने प्रोजेक्ट का दो वर्ष पहले पुनरीक्षण करने के बाद यह कहना है "उच्च तकनीक, उच्च उत्पाद, अधिक दाम के बीज व हर्बीसाइड इस प्रकार के प्रोजेक्टों के डिज़ाइन के विषय में निर्णय लेने के लिए उत्सुक हैं। मौसम परिवर्तन के अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा का अर्थ बढ़ी हुई मकई की फसल और बेहतर भूमि से कहीं ज़्यादा है। इसका अर्थ यह भी है कि किसान अपनी फसलों में विविधता लाकर मौसम परिवर्तनों के कारण फसल के नष्ट होने के प्रकोप से बचने का सोचने लगे हैं। वे अपनी फसल पर होने वाले प्रभावों को पहले से भॉप सकते हैं व उसी अनुसार क्या बोना है यह निर्णय करके अपना व अपने देश की खाद्य सुरक्षा का कम व दीर्घ समयों में ध्यान रख सकते हैं। इस बात पर ज़ोर देना कि किसान सीमित संसाधनों को कार्बन लेखा पद्यति में ले आएँ न कि मिलकर इस बात का प्रयास करें कि बदलाव व खाद्य सुरक्षा कैसे लाई जाए। यह गलत योजना व सीमित साधनों का खराब इस्तेमाल करना होगा।"

यह विचार न्तेनि कि कार्बन ऑफ्सेटों के द्वारा अफ्रीकन कृषि को वित्त की प्राप्ति होगी यह अविश्वसनीय है, परन्तु विदेशी कन्सलटेन्ट्स को होगी यह सत्य है। ये हमें वास्तविक समस्या से दूर करने का ही प्रयास करेंगे, अफ्रीका के अन्दर बीज व व्यापार के नियमों को एक सा बनाना जिससे कि छोटी भूमि वाले किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण, खेती के औद्योगिक तरीके तेज़ी से आगे लाना, जेनेटिक बदलाव वाली फसल लाना, कृषि भूमि पर ऐसे उद्योगों का आना जो उसे बंजर बना दें और अब मौसम परिवर्तन। अन्तत: केन्द्र बिन्दु इन किसानों के स्वयं को ढाल लेने की क्षमता न कि किसी ऐसी प्रणाली के लिए जो कि इस बात पर आमदा है कि वातावरण में फॉसिल फ्यूअल कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो, घटाव करना ही होना चाहिए।

इस बात पर ज़ोर देना कि किसान सीमित संसाधनों को कार्बन लेखा पद्यति में ले आएँ न कि मिलकर इस बात का प्रयास करें कि बदलाव व खाद्य सुरक्षा कैसे लाई जाए। यह गलत योजना व सीमित साधनों का खराब इस्तेमाल करना होगा।"

सी डी एम अपने में एक अलग विचारधारा नहीं हो सकता

रंजन के पॉडा, वॉटर इनिशियेटिव ओदिशा के कन्वीनर, देश के अग्रणी जल अनुसंधानकर्त्ता व पालनकर्त्ता और ज्येष्ठ स्वतन्त्र जर्नलिस्ट

हिडाल्गो फ्लाइ एश माउन्ट ब्रीच , चित्र: रंजन के पॉडा

भारत के पर्यावर्णीय कानूनों की प्रणालियॉं वर्तमान में सबसे अंधकारपूर्ण दौर से गुज़र रही हैं। निवेश के ऑकड़े न कि पर्यावरण का ख्याल हमेशा ही प्रोजेक्टों को प्रस्तावित करने के निर्णय लेता है। जो नया है वह यह है कि इस राह पर अब एक नया महत्वाकांक्षी राजनैतिक जोश दिखाई दे रहा है। भारत के नवीनतम पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने 24 दिसम्बर 2013 को ही कार्यभार संभाला है, ने मीडिया के एक सम्मेलन में यह दावा किया है कि उन्होंने कार्यभार संभालने के 20 दिनों के भीतर ही 70 प्रोजेक्टों को पास किया है (इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने इन प्रोजेक्टों को पर्यावर्णीय अनुमति दे दी है)। दुर्भाग्य से वह मंत्री जिसे कि देश के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चुना गया है वह इस शानदार अनुमतियों (मेरे अनुमान से यह देश में सबसे बड़ा ऐसा अवसर होगा) को देने का श्रेय ले रहा है।

Water Initiatives Odisha

वॉटर इनिशिएटिव्स ओदिशा (डब्लू आई ओ) भद्र समाज संस्थाओं, किसानों, शैक्षणिक समुदाय, मीडिया और अन्य चिंतित व्यक्तियों की एक राज्य स्तरीय पहल है जो जल, पर्यावरण और मौसम परिवर्तन के मुद्दों पर राज्य में दो दशकों से अधिक से काम कर रही है।

देश का पर्यावरण ऐसे ही प्रभावित होता रहेगा क्योंकि इन मंत्री महोदय ने एक सौ पचास हज़ार करोड़ की भयंकर राशि का निवेश कर दिया है। ऐसे निवेश आखिर अपने साथ क्या लेकर आते हैं? यह सरकार जो कि पिछले दस सालों से राज्य कर रही है, उसका पिछला रिकॉर्ड देखने से जिसके यह मंत्री भी हैं, आपको यह पता लगा जाएगा कि इन प्रोजेक्टों में देश के पर्यावरण की बलि किस प्रकार चढ़ रही है। अभी अभी जो रिकॉर्ड प्राप्त किए गए उनसे पता चलता है कि **2.43** लाख हेक्टेयर वनों की भूमि को औद्योगिक और विकासशील प्रोजेक्टों के लिए इस सरकार के द्वारा **2004** से **2013** के बीच साफ करवा दिया गया। इसके साथ साथ **1.64** लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगलों को इस दौरान तेल व रसायनों की खोज के लिए दे दिया गया। बात अभी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अभी ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जिनके तहत **3.30** लाख हेक्टेयर के वन इसी प्रकार के प्रोजेक्टों के लिए दिए जाएँगे। इन सबको जोड़ कर **7.36** लाख हेक्टेयर बनता है जो कि भारत के एक उत्तरी राज्य पंजाब के क्षेत्र का डेढ़ गुना है।

वर्तमान में हमारे देश में पर्यावरण के संरक्षण की यह स्थिति है। यह केवल एक बुनियादी अंदाज़ा मात्र है। वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक होगा। और यह सब इसलिए है क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए बनी प्रणालियाँ बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाले खदान घोटालों को लीजिए। हर उस प्रदेश में जहाँ संसाधनों के खनन को अनुमति दी गई है वहाँ भयंकर घोटाले सामने आ रहे हैं। इनमें से सबसे हाल का ओदीशा का खनन घोटाला है जिसकी सुनवाई केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त जस्टिस एम बी शाह कमीशन द्वारा की जा रही है।

शाह कमीशन की रिर्पोट के अनुसार जिसे की भारतीय पार्लियामेन्ट के समक्ष रखा गया था, ओदीशा में गैर कानूनी खनन का घोटाला **60** हज़ार करोड़ के भारतीय रूपयों के बराबर का हुआ है। इसका अर्थ यह निकला कि खनन कम्पनियों ने, जिनमें इस क्षेत्र के सभी बड़े नाम शामिल थे, जितने संसाधानों की अनुमति उन्हें दी गई थी उससे अधिक का खनन किया। और यह कार्य स्थानीय जनता व पर्यावरणविदों की शिकायतों के बावजूद कई सालों तक चलता रहा। रिर्पोट ने यह भी पता लगाया है कि जो गैर कानूनी लौह व मैंग्नीज़ की कच्ची धातु इस राज्य में पिछले दस सालों से गैर कानूनी तरीकों से निकाली गई वह करीब **22.80** करोड़ टन होगी। और कमीशन ने यह भी संकेत दिए हैं कि इसमें राजनेता, अधिकारी और ऐसे उच्च स्तरीय लोग भी शामिल हैं जो कि अपराध को रोकने के लिए ज़िम्मेदार थे।

सी डी एम को एक सम्मिलित पर्यावर्णीय जवाबदेही व ज़िम्मेदारी की प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए। क्या हम क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) प्रोजेक्टों का एक पारदर्शी तरीका इस नियन्त्रित प्रणाली में प्राप्त कर सकते हैं ? इसका उत्तर नहीं ही होगा। ओदीशा में जहाँ हम प्रोजेक्टों की जाँच कर रहे हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री को पर्यावरण के नियमित रूप से नियमों की अनदेखी करते हुए पकड़ा गया है और इसे कभी सज़ा भी नहीं दी जाती। हीराकुड में जहाँ कि इस उद्योग की एलिमुनियम स्मैल्टर को सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह अनुमति दी गई है कि वह मूल एलिमुनियम से जी एच जी एमिशन घटाएगा और **33624** कार्बन क्रेडिट **31** दिसम्बर **2012** तक उसे मिल भी गए थे , ओदीशा स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड (ओ एस पी सी बी) ने उसके जान बूझ कर प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर कोई रोक नहीं लगाई। यह कम्पनी लगातार फ्लोराइड स्रावों व फ्लाई एश बिखरने के नियम तोड़ रही है जिनके कारण भयंकर रूप से खेतों व जल स्त्रोतों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि हिंडाल्को को शाह कमीशन रिर्पोट, जो कि ओदीशा में खनन के घोटालों की जाँच कर रही है, उसने भी सबसे बड़ा नियम तोड़ने वाला बताया गया है।

यह केस इस बात को उजागर करता है कि सी डी एम की प्रणाली प्रोजेक्टों के प्रस्ताव से सम्बन्धित पर्यावरण की समस्याओं को सम्पूर्ण तरीके से समझने में नाकामयाब रही है और उसकी कारगरता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हमें एक ऐसी प्रणाली की वकालत करने की आवश्यकता है जो सी डी एम प्रोजेक्टों को पर्यावर्णीय जवाबदेही और ज़िम्मेदारी के एक जुड़े हुए स्वरूप में देखे। पर्यावरण के कानूनों को तोड़ने वालों को कार्बन क्रेडिट लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सी डी एम के प्रोजेक्ट अपने में अकेले खड़े रहने वाले प्रोजेक्ट न हों।

चित्र: नासा

मौसम का संकट और झूठे समाधान - भारत के उत्तर पूर्व का केस

जितेन युमनाम, सेक्रेटरी,
सेन्टर फॉर रिसर्च एन्ड एडवोकेसी, मणीपुर

चित्र : www.cifor.org के सौजन्य से

भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र ने मौसम परिवर्तन के भयंकर चिन्ह देखे हैं, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, जिनमें गर्मियों की वर्षा व बाढ़ की अनिश्चितताएँ हैं। पास के मेघालय में मौसिनरम गॉव में जो कि दुनिया का सबसे गीला स्थान माना जाता है वहॉं हाल में पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई और पास के हिमालय के ग्लेशियरों के तेज़ी से कम होते जाने की खबरों की भी पुष्टि हुई है। इतने सारे बदलावों के बीच में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र ने विकास के विशाल प्रोजेक्टों जैसे कि खनन, तेल व प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग व मौसम में बदलाव के झूठे उपायों के लिए जो कि अर्न्तराष्ट्रीय मौसम की समस्या को बढ़ाते ही हैं, उनके लिए एक आक्रामक ज़ोर का भी अनुभव किया।

इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि भारत के नैशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेन्ज (एन ए पी सी सी) व आगे आने वाले स्टेट एक्शन प्लान जो कि बड़े बड़े बॉधों के निर्माण के लिए जंगलों को निशाना बनाते हैं ताकि “वनोन्मूलन व कमी लाने से स्रावों में कमी आाए (आर ई डी डी)” के द्वारा कार्बन ट्रेडिंग मेकेनिज़म के लाभ उठाए जा सकें। इसके साथ साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) व सीमेन्ट कम्पनियों ने भी कार्बन केडिटों के लिए दावा पेश किया अपने त्रिपुरा, मेघालय व आसाम के प्रोजेक्टों को “कम कार्बन वाले प्रोजेक्ट” बता कर। मल्टीनैशनल कार्पोरेशनों ने भी उत्तर पूर्व में जट्रोफा व पाम के तेल जैसे वायो फ्यूअल को जारी रखा।

इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि भारत के नैशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेन्ज (एन ए पी सी सी) व आगे आने वाले स्टेट एक्शन प्लान जो कि बड़े बड़े बॉधों के निर्माण के लिए जंगलों को निशाना बनाते हैं ताकि “वनोन्मूलन व कमी लाने से स्रावों में कमी आाए (आर ई डी डी)” के द्वारा कार्बन ट्रेडिंग मेकेनिज़म के लाभ उठाए जा सकें। इसके साथ साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) व सीमेन्ट कम्पनियों ने भी कार्बन केडिटों के लिए दावा पेश किया अपने त्रिपुरा, मेघालय व आसाम के प्रोजेक्टों को “कम कार्बन वाले प्रोजेक्ट” बता कर। मल्टीनैशनल कार्पोरेशनों ने भी उत्तर पूर्व में जट्रोफा व पाम के तेल जैसे वायो फ्यूअल को जारी रखा।

पूरे क्षेत्र में आर ई डी डी ट्ट की पहल जो कि वनों की सुरक्षा के लिए है, उसे वगैर इस बात पर ध्यान दिए कि वन भूमि पर जनता का क्या अधिकार है, आगे बढ़ाया जा रहा है।
एक बड़े खेल के भाग की तरह इस क्षेत्र के वन विभाग ने भी सामुदायिक वन भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिश की है। मौसम की समस्या पर जनता के साथ बातचीत करने के प्रयास बहुत सीमित हैं। इस तरह के मौसम परिवर्तन के झूठे उपाय पहले ही मल्टीनैशनल कॉर्पोरेशनों और वित्तीय संस्थाओं के लाभ की ज़रूरतों को मूल निवासियों के अपने भूमि, जल व वनों पर अधिकार की कीमत पर पूरा कर चुके हैं।

विकास के नाम पर लिया गया कोई भी निर्णय जो कि जनता के भूमि पर अधिकारों को प्रभावित करता हो वह अभी भी लिया जा रहा है और कॉर्पोरेटों के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। लगातार घटते हुए वन, नदियॉं, जनता के प्रयोग में आने वाली भूमि जिसे कि मौसम परिवर्तन के झूठे उपायों के नाम पर लागू किया जा रहा है वह उन्हें आगे चल कर बहुत कष्ट देगी और जम कर लाभ उठाने वाले कॉर्पोरेट इस विनाश की ज़िम्मेदारी से साफ वच कर निकल जाएँगे। कार्बन व्यापारी केवल मूल निवासियों के जीवन व आत्मा और उनकी भूमि व वनों का व्यापार करेंगे। जनता के विवेक और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ उनके अधिकारों को पहचान कर उनकी भूमि का विकास करना ही मौसम की समस्या में घटाव लाने की कुंजी है।
अन्त में भारत के उत्तर पूर्व में वसने वाले मूल निवासियों के बीच में एक कम ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली का प्रचार

सेन्टर फॉर रिसर्च एन्ड एडवोकेसी, मणीपुर, लोगों की ऐसी स्वदेशी संस्था है मणीपुर और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास व मानवाधिकारों की पैरवी करती है।

कार्बन व्यापारी केवल मूल निवासियों के जीवन व आत्मा और उनकी भूमि व वनों का व्यापार करेंगे। जनता के विवेक और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ उनके अधिकारों को पहचान कर उनकी भूमि का विकास करना ही मौसम की समस्या में घटाव लाने की कुंजी है।

करने से मौसम की इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

रेफ्रेन्स :

“हाई तिपियामुख डैम नेगोशिएशन्स सैन्स पीपल” द इम्फाल फ्री प्रेस, 3 सितम्बर 2012 http://bit.ly/1fjtsp6

“साइनिंग ऑफ पी एस सी फॉर ए ए - ओ एन एन- 2009 अन्डर एन ई एल पी-र्थ्री http://bit.ly/1dntJeg

“एन असेसमेन्ट ऑफ डैम्स इन इन्डियाज़ नॉर्थ ईस्ट सीकिंग कार्बन केडिट्स अन्डर सी डी एम ऑफ यू एन एफ सी सी सी” इन्टरनैशनल रिवर्स द्वारा प्रकाशित, मार्च 2012 http://bit.ly/1jBqrHQ

भारत में कूड़ा निस्तारण और भूमि संघर्ष

चित्र : www.thehindu.com

धर्मेश शाह, क्लाइमेट, वेस्ट पिकर एन्ड ज़ीरो वेस्ट कोओरडिनेटर, ग्लोबल अलायेन्स फॉर इनसनरेटर आल्टरनेटिव्ज़ (जी ए आई ए)

श्री रंगास्वामी इलेंगो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई (सी ओ सी) की यह योजना जानने के बाद चिंतित हैं कि वह उनके गॉव में 100 एकड़ के सार्वजनिक मैदान में 2000 टन प्रतिदिन का कूड़ा निस्तारण की सुविधा लगाने वाली है। कई सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद सी ओ सी को यह पता लगा कि श्री इलेंगो के गॉव कुथमबक्कम जो कि चेन्नई से 40 किलोमीटर उत्तर में है, को इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होना चाहिए क्योंकि यह इस क्षेत्र में नौकरियॉ लेकर आएगा जिससे कि स्थानीय अर्थ व्यवस्था को लाभ पहुँचेगा। सी ओ सी के दुर्भाग्य से कुथमबक्कम के लोगों के पास काम है और वे सब आर्थिक रूप से ठीक हैं। वास्तव में कुथमबक्कम को अपनी उपलब्धियों के लिए मॉडेल गॉव का खिताब भी मिला है। यह गॉधी जी के ग्राम स्वराज के सिद्धान्तों के आधार पर बना हुआ एक आत्मनिर्भर गॉव है। हालांकि सी ओ सी का अभी भी यह मानना है कि श्री इलेंगो के गॉव में एक कूड़ा निस्तारण का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए जबकि ऐसा करने से चेम्बरम्कम सरोवर के दूषित होने का खतरा है। यह चेन्नई Chennai. को पानी सप्लाई करने वाली आखिरी ताज़े पानी का सरोवर है।

कुथमबक्कम की कहानी अकेली नहीं है। हैदराबाद के पास जवाहर नगर गॉव के निवासियों का भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जी एच एम सी) के साथ उनकी सामुदायिक भूमि पर म्यूनिसिपल कूड़ा फेंक कर जमा करने को लेकर संघर्ष चल रहा है। विरोध के जवाव में जी एच एम सी ने इन्टीग्रेटिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (आई एस डब्लू एम) प्रोजेक्ट जिसकी लागत 400 करोड़ होगी उसे शुरू करने का प्रस्ताव्‌ए रखा है। इसमें एक विशाल कूड़े का गढ्ढा और देश का सबसे बड़ा कूड़ा जलाने का संयन्त्र लगाया जाएगा। यह जवाहर नगर के निवासियों के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगा क्योंकि वह इस क्षेत्र से कूड़ा निस्तारण के सभी कार्यो को खत्म करने की मॉग कर रहे हैं। इसी तरह का विरोध बैंगलौर के दो स्थानों मवालीपुरा और मनदूर में आकामक हो गया और जिसके कारण बैंगलौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को विकल्प देखने पर मजवूर होना पड़ा ताकि उनकी

gaia

जी ए आई ए दुनिया भर की एक भागीदारी है जिसमें 800 से भी अधिक ज़मीन से जुड़े समूह, गैर सरकारी संस्थान और 90 देशों के वह लोग शामिल हैं जो आने वाले समय में एक न्याय संगत, ज़हर मुक्त और भस्म के वगैर संसार को देखना चाहते हैं।

गढ्ढों पर निर्भरता कम हो सके। वह देश का पहला शहर है जहाँ शून्य कूड़े से गढ्ढे की प्रणाली को अपनाया गया है। बैंगलौर अब कैसे इस परिवर्तन को लाएगा यह देखने वाली बात है।

भारत की सारी म्यूनिसिपैलिटियों का बढ़ चढ़ कर यह प्रयास हो रहा है कि वह भीतरी क्षेत्र के गॉवों की सार्वजनिक भूमियों को हड़प लें। शहर के बार एकत्रित कूड़ा कमज़ोर समुदाय के लोगों के लिए मुसीबत लाता है क्योंकि वे आर्थिक प्रणाली के हाशिए पर रहते हैं और भारत में तो जातिवाद के शिकार भी।

परन्तु क्यों इस प्रकार के कूड़ा निस्तारण के ऊपर होने वाले भूमि के झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं? इसका एक कारण बगैर पूर्व नियोजित शहरीकरण है। मैकेन्ज़ी ग्लोबल इन्स्टीट्यूट की रिर्पोट 'इन्डियाज़ अर्बन अवेक्निंग' में यह पाया गया कि "शहरीकरण की गति से योजना व प्रबन्धन की अभूतपूर्व चुनौतियॉं खड़ी हो जाती हैं - परन्तु फिर भी भारत ने कभी भी यह परिचर्चा नहीं की है कि किस प्रकार देश के इस उलट पलट कर देने वाले बदलाव से निपटा जाए।"

ऐसी परिस्थिति में दूरगामी दृष्टि न रख कर केवल गढ्ढों से कूड़े को जला देने के उपायों से समस्या सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। इसके बावजूद शहरों में ये विकल्प अपनाए जा रहे हैं और उनको यू एन एफ सी सी सी जैसे संस्थानों की मदद भी प्राप्त है। बाज़ार पर आधारित प्रणालियों जैसे कि क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़म (सी डी एम) लगातार जुड़े हुए एस डब्लू एम प्रोजेक्टों जैसे इनसिनिरेटर्स व लैन्डफिल गैस टू एनर्जी (एफ जी टी ई) को मौसम परिवर्तन में घटाव लाने के तरीकों की तरह मान्यता दे रहे हैं। नवम्बर 2007 में सी डी एम एग्जिक्यूटिव बोर्ड ने दिल्ली में 2050 टन प्रति दिन के म्यूनिसिपल कूड़े के निस्तारण के लिए दो सुविधाऐं लगाने के लिए तीमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेन्ट कम्पनी के एक प्रोजेक्ट को पंजीकृत किया था। प्रोजेक्ट के द्वारा प्रस्तावित 16 मेगावॉट दुबारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा का निर्माण होना था और 262,791 टन कार्बन डाय ऑक्साइड प्रति वर्ष कम की जानी थी। छह साल के बाद प्रोजेक्ट ने एक भी यूनिट ऊर्जा का निर्माण नहीं किया है और कूड़ा जलाने के कारण द्वारतए भयंकर रूप से पर्यावरण को प्रदूषित किया है। कम्पनी को 20 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए दी गई भूमि को मूल रूप से सामुदायिक मनोरंजन का स्थल बनना था परन्तु उसे यहाँ गैर कानूनी तरीकों से इस्तेमाल कर लिया गया।

कृषि में घटाव व कार्बन बाज़ार - अज्ञात क्षेत्र

राम किशन, रीजनल ह्यूमैनेटिरियन मैनेजर, क्रिश्चियन एड

चित्र: यू एन फोटो/किबे पार्क, www.unmultimedia.org/photo/

क्रिश्चियन एड इस बात पर बल देता है कि संसार को जल्दी से ऐसी जगह में बदला जा सकता है जहाँ पर कि सब लोग गरीबी से मुक्त होकर एक सम्पूर्ण जीवन बिता सकें और ऐसा करना संभव है। जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ हम तत्काल, व्यवहारिक व कारगर मदद पहुँचाते हैं ताकि गरीबी के प्रभावों व मूल कारणों दोनों से निपटा जा सके।

मौसम परिवर्तन मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और जबकि यह किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, कृषि को भी इससे काफी खतरा है। हालांकि कृषि में घटाव व कार्बन व्यापार की बहुत संभावनाऐं हैं परन्तु ऐसा कोई भी कदम जिससे यह कार्बन क्रेडिट के बाज़ार में आएगा वह छोटे और हाशिए के किसानों के लिए एक खतरनाक कदम साबित होगा।

विकासशील देशों में कृषि गरीबों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल लोगों के रोज़गार का साधन होता है परन्तु खाद्य सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि के कुछ प्रकार ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में काफी योगदान देते हैं। कृषि के अन्य प्रकारों का भी मौसम की समस्या में बहुत कम योगदान होता है। कृषि उत्पादन के कुछ प्रकार मौसम के लिए काफी लचीले होते हैं और हमें उन्हें खाद्या सुरक्षा व रोज़गारों को बचाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले मौसम के प्रभावों से बचा जा सके।

christian aid

क्रिश्चियन एड का मानना है कि संसार में तुरन्त बदलाव लाकर ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ सब लोग गरीबी से दूर एक भरपूर जीवन जे सकें और ऐसा करना संभव भी है। हम तत्काल , व्यवहारिक व कारगर सहायता वहाँ प्रदान करते हैं जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ हम गरीबी के प्रभावों से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों का भी उन्मूलन करने का प्रयास करते हैं।

कृषि के क्षेत्र में मौसम के घटाव का आधार वास्तविक स्रावों का कम होना या उनका बचाव होना चाहिए। अभी तक मिट्टी व कार्बन के अधिग्रहण को मौसम के साथ मानवों की छेड़छाड़ का एक उपाय बना कर पेश किया गया है। परन्तु भूमि में कार्बन का अधिग्रहण वास्तव में स्रावों में कमी नहीं लाता और न ही उन्हें कम करता है। इन कमियों के स्थाई न होने के कारण इन्हें तकनीकी तौर से अधिग्रहण नहीं कहा जा सकता क्योंकि भूमि के बढ़ते तापमान व वर्षण के पैर्टन बदलने के कारण कार्बन का एक स्रोत बन जाने की संभावना होती है।

कार्बन बाज़ारों को मौसम वित्त का एक मुख्य ज़रिया माना जाता है। हालांकि वास्तविकता में यह काफी अलग तरह से काम करता है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रणालियों में बाज़ार पर आधारित तरीकों से बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। डर्बन में सी ओ पी 17 में कार्बन बाज़ारों के लक्ष्य को कुछ इस प्रकार पारिभाषित किया गया "घटाव के कार्यों को बढ़ावा देना व उनकी लागत की प्रभाविता को बढ़ाना"। हालांकि अभी तक यह बहुत व्यापक तौर पर विवादास्पद रहा है क्योंकि इन बाज़ारों में संचालन ऊपर से नीचे की ओर होता है और यह उन व्यवहारिक परिर्वतनों पर ध्यान नहीं दे पाता जो कि कृषि के क्षेत्र में होते हैं और न ही यह छोटे किसानों को सामाजिक और पर्यावर्णीय प्रभावों से बचाने में कामयाब होता है। वास्तव में कार्बन बाज़ार उन फर्मों के लिए लाभदायक रहे हैं जिन्हें कि सरकार से मुफ्त में कार्बन केडिट प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा वे अपने उद्योग की आर्थिक सहायता कर सकते हैं।

बाज़ार पर आधारित प्रणालियों को अतिसंवेदनशीलता, खाद्यानों को नुकसान व दीर्घकालिक विकास जैसे मुद्दों पर आधारित होना चाहिए और इन्हें समानता से लागू किया जाना चाहिए जिसमें की सार्वजनिक व अलग अलग दोनों प्रकार की ज़िम्मेदारी हो।

कृषि के ऑफ्सेट प्रोजेक्ट बहुत विवादपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि इनके कारण नाप तोल व पर्यावरण अखंडता को लेकर अच्छी खासी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ साथ भूमि के प्रकार व उनसे सम्बन्धित मौसम की ज़रूरतों, पहले व भविष्य में भूमि के प्रयोग और प्रबन्धन के तरीकों के उचित ऑकड़ों व नाप तोल के अभाव में समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं। भूमि में कार्बन की मात्रा फसल और उसके चकों, मानव कार्यों, भूमि के कार्यकाल के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है।

मोटे तौर पर यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि बाज़ार पर आधारित प्रणालियाँ जो कि अभी यू एन एफ सी सी सी के अर्न्तगत विचाराधीन हैं वे अधिक कामयाब नहीं होंगी और उनके नकारात्मक आर्थिक व पर्यावर्णीय परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ साथ अनुभव से हमें यह पता चला है कि ऐसी प्रणालियों से ऐसे स्रावों में कमी नहीं आती जिनसे कि खतरनाक मौसम परिवर्तनों से बचा जा सके बल्कि ये प्रणालियाँ कभी कभी कृषि क्षेत्र की ग्लोबल वॉर्मिग में स्वयं को ढालने की क्षमता को भी परेशानी में डाल देती हैं।

वॉरसो में होने वाली कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ के लिए बहुत कुछ दॉव पर लगा है। कृषि सब्सी डियरी बॉडी फॉर साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस (एस बी एस टी ए) के केन्द्र में होगा जहाँ इस क्षेत्र में घटाव के मुद्दे जैसे कि क्लाइमेट एडैप्टेशन पॉलिसी के जुड़े हुए लाभों पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्रीय घटाव के तरीकों व बाज़ार की नई प्रणालियों के साथ साथ कृषि भी चर्चा का मुद्दा रहेगा। मौसम परिवर्तन के प्रभावों में घटाव लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में बाज़ार पर आधारित प्रणालियों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने का मतलब खाद्य सुरक्षा और भूमि कार्यकाल पर एक बड़ा दॉव लगाना होगा। नतीजतन इसका विकासशील देशों के अर्थ छोटे व हाशिए पर रहने वाले किसानों और भी अधिक खतरा पैदा हो जाएगा।

हमें एक वास्तविक खतरा कृषि क्षेत्र में मौसम में घटाव लाने के उपायों में यह दिखाई देता है कि मौसम योजनाओं की अर्न्तराष्ट्रीय बातचीत को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके कारण भूमि के अधिकार व खाद्य सुरक्षा जैसी मुश्किल चुनौतियाँ और भी बढ़ जाएँगी। छोटे किसानों को कार्बन बाज़ारों में कार्बन केडिट के लिए लाने में आसानी से जोड़े जाने वाले कार्बन सिंकों के मुकाबले में भूमि अवधि, भूमि अधिग्रहण और खाद्यानों की उत्पत्ति के बिखर जाने जैसी सामाजिक संघर्ष और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए चुनौतियाँ और भी अधिक बढ़ जाएँगी।

सुनहरा परिदृष्य ?

अनिका श्रोडर, डेस्क ऑफिसर फॉर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेवेलपमेन्ट, मिसरिओर

चित्र: http://www.flickr.com/photos/20024546@N05

गोल्ड स्टैन्डर्ड फाउन्डेशन (जी एस एफ) अपने क्षेत्र का फैलाव करके भूमि प्रयोग और फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्टों को शामिल कर लिया है। यदि हम यह मानकर भी चलें कि यह मानक सामाजिक अखंडता के ऊँचे स्तर को बनाए रखेगा और स्थानीय इकोसिस्टम के विकास व संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा फिर भी कई प्रश्न उठेंगे। इस बात का बहुत खतरा है कि यह विकास पैन्डोरा के एक ऐसे डिब्बे को खोलेगा और भूमि पर आधारित कार्यों को शामिल करने के कार्यों को स्थानीय व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता वाले बाज़ारों में बाँट कर रख देगा यदि इसका संचार ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो।

सभी को मान्य जी एफ एस की स्थापना 10 साल पहले डब्लू डब्लू एफ के नेतृत्व में कई एन जी ओ के माध्यम से उच्च क्वालिटी के कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्टों को मज़बूती व प्रमाण प्रदान करने के लिए की गई थी। यह प्रमाणीकरण केवल ऊर्जा प्रोजेक्टों को दिया जाता था क्योंकि 10 साल पहले फॉरेस्ट्री व भूमि पर आधारित कार्यों को वित्तीय सहायता देने में कई खतरे विद्यमान थे।
इस साल गर्मियों में जी एफ एस ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है और अब वह 'भूमि प्रयोग व फॉरेस्ट्री गोल्ड स्टैन्डर्ड' प्रदान करने लगा है। वनारोपण/पुनरोपण के प्रोजेक्ट जिनमें बागान भी शामिल होते हैं वे अब स्वैच्छिक ऑफ्सेटों के लिए वेरिफाइड एमिशन रिडक्शन (वी ई आर) का उत्पादन कर सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि व बेहतर वन प्रबन्धन के विकास का काम अभी चल रहा है।

मौसम के अवरोध

यह बात जो कि एक बहुत अच्छा विचार प्रतीत होती है उसके भी अपने खतरे व कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहली बात तो फॉसिल फ्यूअलों को इको सिस्टम के संरक्षण के लिए सतह के नीचे रहना पड़ता है। ग्लोबल वॉर्मिंग को दो डिग्री से कम रखने के लिए अवसरों की खिड़की छोटी होती जा रहे है। इसलिए एक के लिए दूसरे का स्थान ले पाना मददगार नहीं होता। इसके साथ साथ भूमि में होने वाली जटिल जैविक प्रकियाओं और बायोमास के कारण सही मिट्टी व इको सिस्टम कार्बन की माप प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये सिक्वेस्टर्ड कार्बन डाय आक्साइड की मात्रा निर्धारण व उनसे मिलने वाले वी ई आर के लिए ज़रूरी होता है।

अनुपालन बाज़ार की स्थापना के लिए मार्ग बनाना ?

भूमि पर आधारित ऑफ्सेटिंग प्रोजेक्टों के लिए तब समस्या कम होती है जब कि स्वैच्छिक बाज़ार में भी उनका मानक बना रहे। परन्तु यह बात मध्यस्थों, व्यापारों व जनता को किस प्रकार समझाई जाए फॉसिल फ्यूअल के स्रावों को भूमि पर आधारित कार्यो से ऑफ्सेट करना तब काम नहीं करता जब दुनिया भर के एन जी ओ इन क्षेत्रों के कार्बन केडिटों को बेच रहे हैं। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि 'आप कार चलाएँ, हम पेड़ लगाएँ?

इस बात का बहुत खतरा है कि इस प्रकार का विकास भूमि पर आधारित कार्यो के अन्तर्राष्ट्रीय अनुपालन बाज़ार या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्बन बाज़ारों में शामिल करने का रास्ता साफ कर दे। ऐतिहासिक तौर से भी यह पता चला है कि वे कार्य जो भूमि के प्रयोग से निकलने वाले स्रावों को कम करते हैं वे हाशिए के किसानों और जनजातियों के अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ ये कार्य भूमि विस्थापन के लिए भी ज़िम्मेदार हैं और इन्हें प्राकृतिक संसाधनों जिनपर कि रोज़गार की प्रणालियाँ निर्भर है उनकी भी सीमित उपलब्धता है।

कृषि को कार्बन बाज़ारों के माध्यम से वित्त प्रदान करने से विशालकाय खेती व उन कम्पनियों को ही लाभ पहुँचेगा जो केडिट खरीदने वालों के ऊँचे दामों व कार्यो की देखभाल करने का खर्चा उठा पाऐंगे। यह विशाल स्तर की कृषि के लिए प्रलोभन है व इससे आगे चल कर भूमि हड़पने के कार्य भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कार्बन बाज़ारों की तैयारी के प्रोजेक्ट संस्थागत, मानव और आर्थिक संसाधनों को विकास के कार्यों से दूर कर देंगे क्योंकि उनके खर्चे का एक बड़ा भाग ऑफिशियल डेवेलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओ डी ए) द्वारा दिया जाएगा। कार्बन बाज़ारों से मिलने वाला पैसा उन कार्यो में सहयोग देगा जो सबसे अधिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के तरीकों को सुनिश्चित करे और 'नापने में सबसे सरल तरीके' को अपनाए न कि उनको जो किसान को सबसे ज़्यादा सहारा दे।

सरकार की राजनैतिक इच्छा भी 'सुनहरे प्राकृतिक दृष्यों' को प्रप्त करने के लिए ज़रूरी है। इसे अमल में लाने के लिए सबसे अच्छी

MISEREOR
IHR HILFSWERK

मिसरिओर जर्मन कैथोलिक्स विशप ऑर्गेनाइज़ेशन की विकास में सहयोग देने वाली संस्था है। 1958 में इसकी स्थाप्ना के बाद से मिसरिओर ने खेती में लगे समुदायों जो कि केवल निष्क्रिय तौर से लाभान्वित होने वाले न होकर बदलाव के प्रतिनिधि हैं, उनके आत्मनिर्भर बनने की क्षमता को सुदृढ़ किया है।

परन्तु यह बात मध्यस्थों, व्यापारों व जनता को किस प्रकार समझाई जाए फॉसिल फ्यूअल के स्रावों को भूमि पर आधारित कार्यो से ऑफ्सेट करना तब काम नहीं करता जब दुनिया भर के एन जी ओ इन क्षेत्रों के कार्बन केडिटों को बेच रहे हैं। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि 'आप कार चलाएँ, हम पेड़ लगाएँ?

प्रणालियों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। जी एस एफ इसलिए अभी भी वास्तविक समाधानों को लागू करने में भूमिका निभा सकता है यदि संचार की नीति ऊपर दी गई बाधाओं को ध्यान में रखे। पर अभी तक यह प्रश्न खुला ही है कि जी एस अनुपालन बाज़ार में शामिल होने को सहयोग देता है कि नहीं।
इस विषय में और जानने व पढ़ने के लिए कृप्या निम्न देखें:

MISEREOR 2012: "Climate-smart agriculture – A useful development paradigm?"

MISEREOR 2012: "Carbon markets in Agriculture – Benefitting the Poor and the Climate?"

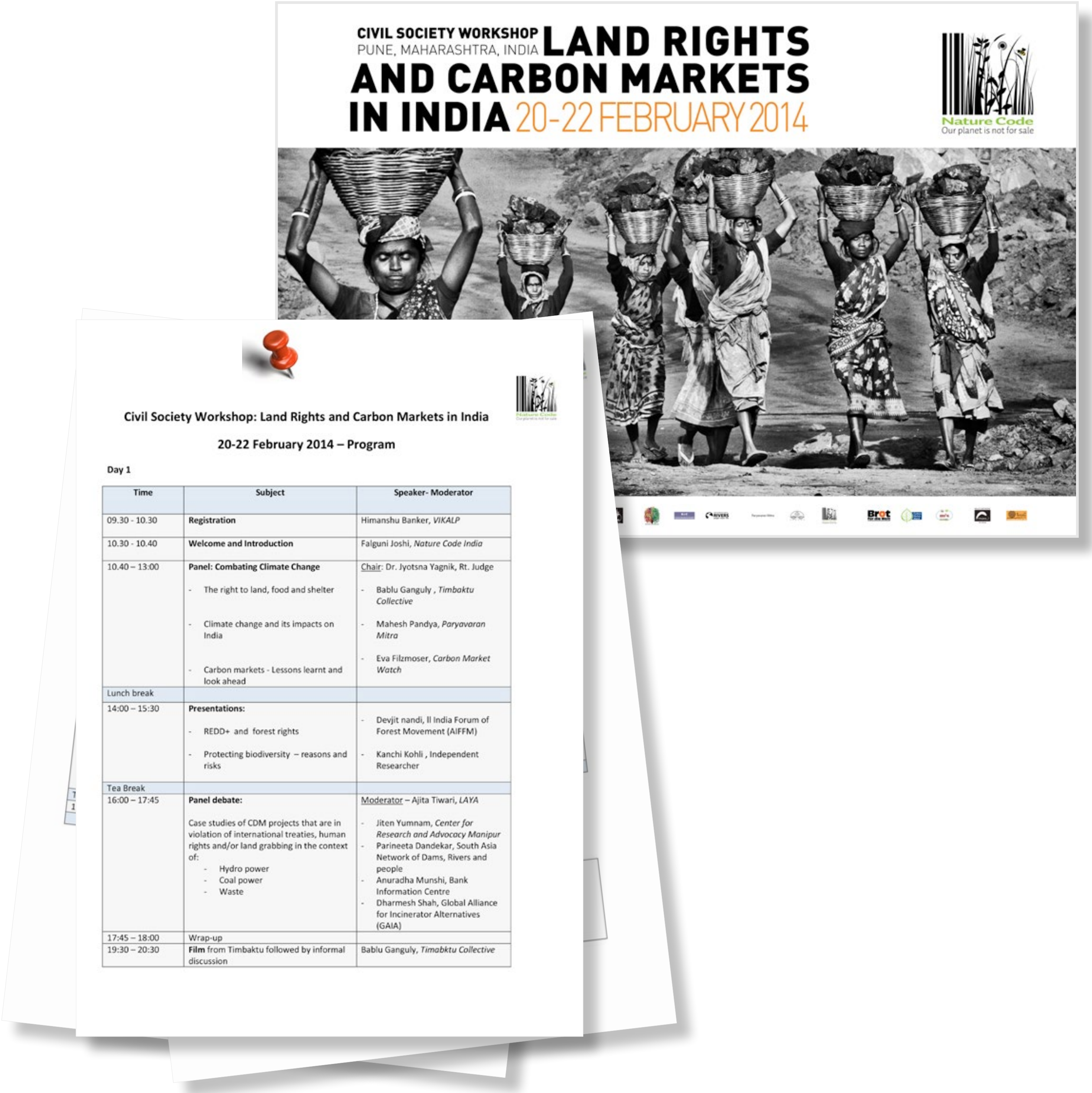

Civil Society Workshop: Land Rights and Carbon Markets in India

20-22 February 2014 – Program

Day 1

Time	Subject	Speaker- Moderator
09.30 - 10.30	**Registration**	Himanshu Banker, *VIKALP*
10.30 - 10.40	**Welcome and Introduction**	Falguni Joshi, *Nature Code India*
10.40 – 13:00	**Panel: Combating Climate Change** - The right to land, food and shelter - Climate change and its impacts on India - Carbon markets - Lessons learnt and look ahead	Chair: Dr. Jyotsna Yagnik, Rt. Judge - Bablu Ganguly, *Timbaktu Collective* - Mahesh Pandya, *Paryavaran Mitra* - Eva Filzmoser, *Carbon Market Watch*
Lunch break		
14:00 – 15:30	**Presentations:** - REDD+ and forest rights - Protecting biodiversity – reasons and risks	- Devjit nandi, ll India Forum of Forest Movement (AIFFM) - Kanchi Kohli, Independent Researcher
Tea Break		
16:00 – 17:45	**Panel debate:** Case studies of CDM projects that are in violation of international treaties, human rights and/or land grabbing in the context of: - Hydro power - Coal power - Waste	Moderator – Ajita Tiwari, *LAYA* - Jiten Yumnam, *Center for Research and Advocacy Manipur* - Parineeta Dandekar, South Asia Network of Dams, Rivers and people - Anuradha Munshi, Bank Information Centre - Dharmesh Shah, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA)
17:45 – 18:00	Wrap-up	
19:30 – 20:30	**Film** from Timbaktu followed by informal discussion	Bablu Ganguly, *Timabktu Collective*

पारखी नज़र !

कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़

सूचनापट्ट

नेचर कोड इन्टरनैशनल की स्थापना के बाद जो कि कार्बन मार्केट वॉच की मूल संस्था है, उसकी संचालन समिति के कियाशील भारतीय सदस्यों को यह लगा कि उन्हें अपनी खुद की शाखा या कोड भारत के लिए बना लेना चाहिए। इस प्रस्ताव का नेचर कोड के अन्य सदस्यों व संचालन समिति ने स्वागत किया। वर्तमान में भारत में नेचर कोड की स्थापना का कार्य चल रहा है और यह हमारे भारतीय साथियों के लिए प्रस्तावित अवसर प्रदान करेगा व भविष्य में नेचर कोड के भारत और दक्षिण एशिया से सम्बन्धों व काम करने की क्षमता में सुधार लाएगा। अधिक जानकारी कृप्या यहाँ प्राप्त करें http://naturecode.org/en/nature-code-india/.

Nature Code India
Our planet is not for sale

भारत में भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ारों पर यह वर्कशॉप एक साथ काम करने का पहला अवसर है। आप इस आने वाली वर्कशॉप के विषय में अधिक जानकारी यहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं http://naturecode.org/en/nature-code-india/civil-society-workshop/. आने वाले महीनों में भारत का नेचर कोड इस विषय पर अभियानों के लिए काम करेगा और उसका विशेष केन्द्र मौसम घटाव के ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो दीर्घकालिक विकास और जनता की भागीदारी के तरीकों को बल देंगे।

यदि आपके भारत के नेचर कोड के विषय में कोई प्रश्न हैं या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं तो कृप्या फाल्गुनी जोशी - प्रोग्राम कोओर्डिनेटर को ईमेल करें Falguni.Joshi@naturecode.org

वर्कशॉप का कार्यक्रम निम्न विषयों को सम्बोधित करेगा:अर्न्तराष्ट्रीय व क्षेत्रीय कार्बन बाज़ारों की भूमि पर आधारित पहलों की मुख्य चुनौतियों के निम्न में राजनैतिक विकास :

- **वन प्रबन्धन के चिरस्थायी कार्य (आर ई डी डी +)**
- **कृषि व वनों के कार्बन बाज़ारों के प्रोजेक्ट**
- **बायो डाइवर्सिटी की ऑफ्सेटिंग प्रणालियाँ**

निम्न पर विशेष फोकस होगा :

- **जनता की भागीदारी के तरीके**
- **पर्यावर्णीय प्रभाव**
- **सामाजिक संरक्षण (उदाहरण के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा) व शिकायत निवारण प्रणालियाँ**

निम्न पर विशेष फोकस होगा :

- **जनता की भागीदारी के तरीके**
- **पर्यावर्णीय प्रभाव**
- **सामाजिक संरक्षण (उदाहरण के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा) व शिकायत निवारण प्रणालियाँ**

भाग लेने में कितना खर्चा आएगा?

- **इसमें मुफ्त भाग लिया जा सकता है**
- **कॉफी और दोपहर का भोजन दिया जाता है**
- **एन जी ओ के प्रतिनिधि यात्रा व रहने का खर्चा पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं**

कार्बन मार्केट वॉच के विषय में

Carbon Market Watch

कार्बन मार्केट वॉच कार्बन बाज़ारों के विकास पर एक निष्पक्ष विचारधारा प्रस्तुत करता है और पर्यावरण व सामाजिक निष्ठा को मज़बूत बनाने की वकालत करता है। कार्बन मार्केट वॉच की स्थापना नवम्बर 2012 में सी डी एम वॉच के कार्यो को सी डी एम से आगे लेकर जाने के लिए की गई।

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर व दक्षिण तक फैले एन जी ओ व शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन आफसेट प्रोजेक्टों के विषय में जानकारी व चिंताओं को आपस में बॉटा जा सके। इसका लक्ष्य भद्र समाज की आवाज को कार्बन बाज़ार के विकास में मज़बूती प्रदान करना है।

Join the Network

पारखी नज़र के लिए आवेदन निम्न पर ईमेल करके करें!

Follow us on

दिट्विर पर हमसे यहाँ जुड़ें
दिट्विर का हायपर लिंक
फेसबुक का हायपर लिंक

कार्बन मार्केट वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@carbonmarketwatch.org
www.carbonmarketwatch.org

The opinions expressed in this newsletter are the author's views and experiences. They do not necessarily reflect the views and opinion of the entire Carbon Market Watch Network.